ऑल इंडिया समता सैनिक दल
परिचय, उद्देश्य और कार्यक्रम

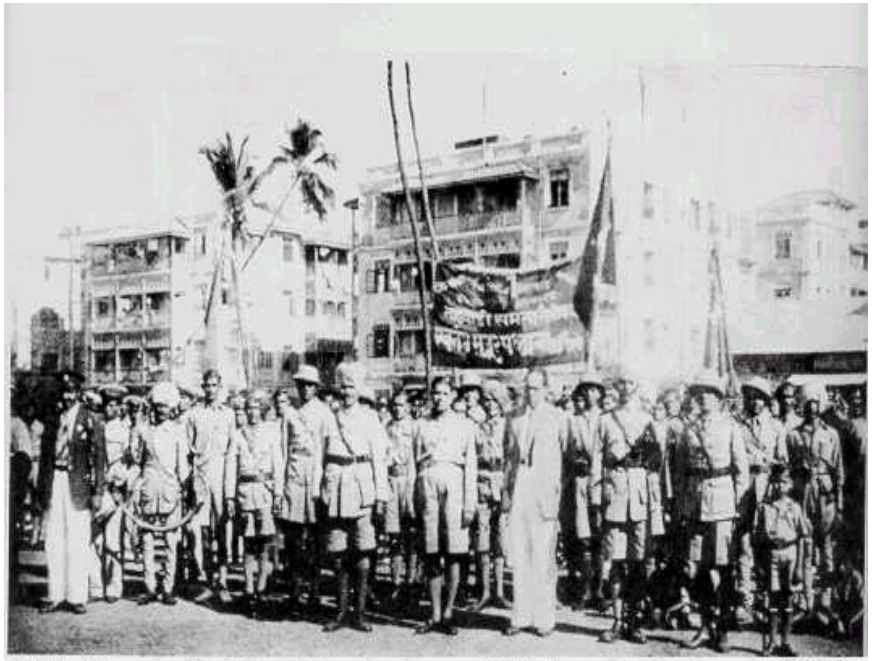

With Samata Sainik Dal, volunteers at Tadwadi, Bombay in 1938.

लेखक –
संजय गजभिए
M.Com., M.A. (Economics, Ambedkar Thought, Pali & Prakrit, Political Science, Sociology-I), NET (Pali)

– प्रकाशक –
अध्यक्ष, ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत)
मुख्यालय – 32 उंटखाना, कामगार चौक,
नागपुर–440 009

रचना : ऑल इंडिया समता सैनिक दल का परिचय, उद्देश्य और कार्यक्रम

प्रथम संस्करण : 13 मार्च, 2007

प्रकाशक : ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत)
32, उंटखाना, नागपुर–440 009
दूरभाष : 0712–2740675

सहयोग राशि : मात्र दस रूपये (सदस्यता पत्र सहित)

लेखक : संजय गजभिए
आ.इं.स.सै.दल (पंजीकृत) मुख्यालय
32 उंटखाना, नागपुर–440 009.
मोबाईल–09423105694

मुद्रक :

ऑल इंडिया समता सैनिक दल परिचय, उद्देश्य और कार्यक्रम

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित 'अखिल भारतीय समता सैनिक दल' की अम्बेडकरी आंदोलन में एक सशक्त भूमिका रही है। आज समाज ने इस संगठन को करीब–करीब भूला ही दिया है। 20 जुलाई, 1942 को मोहननगर, नागपुर में आयोजित समता सैनिक दल के प्रथम अधिवेशन में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था, **'यदि हम अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ बगैर किसी बाधा व छेड़खानी के करते रहे तो इसका श्रेय हमारे स्वयंसेवी संगठन, 'समता सैनिक दल' को है, जिसकी शक्ति के कारण कोई हमारे काम में रूकावट पैदा नहीं कर सका। हम इसके बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं।'**

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा समय–समय पर विविध राजनैतिक संगठनाएं बनाई गई जैसे 'डिप्रेस्ड क्लॉस फेडरेशन', 'स्वतंत्र मजदूर पार्टी', 'शेड्यूल कास्ट फेडरेशन' तथा 'रिपब्लिकन पार्टी' के स्थापना की संकल्पना। इसी के साथ–साथ उन्होंने 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'समता', 'जनता' तथा 'प्रबुद्ध भारत' इस प्रकार के समाचार पत्र शुरू किये। अध्ययन से हमें पता चलता है कि, डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने समय–समय पर अपनी राजनैतिक संगठनाओं के साथ–साथ समाचारपत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया। किन्तु एक विशेष बात यह देखी जाती है कि, इन सबसे पहले स्थापित 'समता सैनिक दल' के नाम में या इसके उद्देश्य और कार्यक्रम में परिवर्तन करने की उन्हें कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसी से पता चलता है कि डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ऑल इंडिया समता सैनिक दल को बनाए रखना कितना जरूरी समझते थे। ऑल इंडिया समता सैनिक दल' 13 मार्च, 1927 से डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के आंदोलन के अंत तक बना रहा।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल का संक्षिप्त इतिहास

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने जब अछूतोद्धार का आंदोलन शुरू किया इस दौरान मुंबई विधान मंडल में कुछ अछूत प्रतिनिधि चुने गए थे। यह प्रतिनिधि अछूतों की समस्याओं को सदन में रखने लगे थे। ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप, आनंदराव सुर्वे तथा सीताराम केशवराव बोले ने अछूतों के उत्थान के लिए सदन में विभिन्न प्रस्ताव रखे थे। रायबहादूर सी.के. बाले ने 4 अगस्त, 1923 को मुंबई विधान सभा में अछूत वर्ग के लिए सभी सार्वजनिक जलस्रोतों, नदी, तालाब, कुओं से पानी भरने, धर्मशाला, शिक्षासंस्थान, न्यायालयों में मुक्त प्रवेश मिलने, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में बेरोक–टोक प्रवेश मिलने का एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव रखा था। विधान मंडल द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करके 11 सितम्बर,1923 को इसे संपूर्ण मुंबई राज्य में लागू करने के लिए आदेश पारित किया गया था।

20 जुलाई, 1924 को मुंबई में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत हितकारीणी सभा' की स्थापना की गई। अछूतों में जागृती लाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा जगह–जगहों पर सभाएँ ली जाती थी। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के उपदेशों तथा विचारों से धिरे–धिरे अछूतों को उत्तेजना मिलने लगी और कुछ ही दिनों में आंदोलन की जड़े मजबूत होने लगी।

बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। दलितवर्ग से संबंधित हाइस्कूल के छात्रों के लिए 4 जनवरी, 1925 को सोलापुर में इस सभा द्वारा एक छात्रावास शुरू किया गया। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने अप्रैल–1925 में जैजूरी नामक स्थान पर आमसभा में भाग लिया। इस सभा में उन्होंने अछूतों से कहाँ की, 'वे अपने रहने के लिए बंजर भूमी की माँग करें ताकि अन्य लोगों की तरह वे भी अपना जीवन–यापन कर सके। जहाँ–जहाँ भी डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर जाते थे अछूत स्त्री–पुरूष उनका दर्शन तथा भाषण सूनने के लिए भारी संख्या में जमा होते थे। गरीबी से पिड़ीत अछूत भाई–बहन मैले कुचैले फटे पुराने कपड़ों में ही आया करते थे। कई स्त्रियों के पास तो तन ढ़ाकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते थे। इन असहाय चेहरों को देखकर डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर को बड़ा दुखः होता था। उनका हृदय द्रवित हो जाता था। ऐसी अवस्था में भी डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर अछूतों को प्रेमपुर्वक फटकारते हुए कहते थे – **'तुम्हारे ये दीन–दुखी चेहरे देखकर तथा करूणाजनक शब्द सुनकर मेरा दिल टूटने लगता है। कितनी देर से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पिसे जा रहे हो फिर भी तुम्हारी यही भावना है की तुम्हारी यह दुर्दशा ईश्वर निर्मित है। तुम अपने माँ की कोख में ही मर क्यों नहीं गए? तुम अपने दयनीय, धृणित और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी का बोझ क्यों बढाते हो। अब भी मर जाओ तो तुम संसार पर बड़ा ही उपकार करोंगे। यदि तुम्हारे जीवन का पुर्नजीवन नहीं हो रहा हो तो तुम्हे इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है? यदि तुम नया जीवन नहीं ढाल सकते और अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते हो तो इससे मरना ही बेहतर है। अन्य इन्सानों की तरह तुम भी इन्सान हो। तुम्हें भी भोजन वस्त्र और आवास प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि**

तुम्हे स्वाभिमान से जिना है तो स्वावलंबन ही एक उन्नति का मार्ग है इसका पूरा ध्यान रखों।' डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के इस प्रकार के भाषणों से निष्प्राणों में प्राण, असाहसियों में साहस तथा जोश आता था। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर तथा अन्य नेताओं की कार्यपद्धती में काफी अंतर था। अम्बेडकर की दर्द भरी आवाज उनके दिल से निकलती थी परंतु दूसरे नेताओं की आवाज नाम के लिए तथा स्वार्थ पर आधारित होती थी।

राव बहादूर सी.के. बोले ने मुंबई विधानसभा में दिनांक 4 अगस्त, 1923 को एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के अनुसार डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर को परिषद् के लिए आधार प्राप्त हुआ। राव बहादूर सी.के. बोले के निर्देशों के अनुसार विधानमंडल ने छुआछुत विरोधी प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत जिला मंडल और नगरपालिकाओं को आदेश दिए गए थे कि, अछूतों को सार्वजनिक कुँएं, तालाब, स्कूलों, अस्पतालों और धर्मशालाओं में प्रवेश से रोका नहीं जाएँ किन्तु स्थानिय निकायों में इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था इसलिए 5 अगस्त, 1926 को राय बहादूर सी.के. बोले ने फिर से नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहाँ गया था की जो नगरपालिकाएँ और जिला मंडल इस प्रस्ताव को अमल में नहीं लाएँगी उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

जनवरी, 1927 में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने पूणे के पास कोरेगाँव युद्धस्तम्भ परिसर में एक सभा को संबोधित किया। इसी दौरान डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर को विधान मंडल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 18 फरवरी, 1927 को उन्होंने सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा 1920 से अछूतोद्धार का कार्य अपने हाथ में लेने के बाद से अछूत समाज डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में संगठित होने लगा था। जैसे–जैसे अछूत लोग सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होकर संघर्ष करने लगे, वैसे धर्मान्ध हिन्दू तथा उनके विरोधी लोग उनके स्वयंविश्वास एवं संगठन को तोड़ने के लिए उनपर हमला करने और डराने–धमकाने के लिए गुण्डों का इस्तेमाल करने लगे। जैसे–जैसे अछूतों में जागृति आ रही थी वैसे–वैसे हिन्दू लोग गाँवों तथा शहरों में इन्हें दबाएँ रखने के लिए और अधिक प्रताड़ित करने लगे। सभा–सम्मेलनों तथा जलसों में गडबड़ी पैदा करना एवं दलित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देना इनका नित्य का काम बन गया था।

19 तथा 20 मार्च, 1927 को कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद् का प्रथम अधिवेशन महाड़ में दिनांक 19 तथा 20 मार्च, 1927 को आयोजित किया गया था। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई दिन पूर्व से नियोजनपूर्वक कार्य कर रहे थे। इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से अछूतों में जागृति पैदा करना था। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा 1920 से प्रारंभ किए गए अछूतोद्धार आंदोलन के समय से अभी तक के कार्यक्रमों को असफल बनाने के लिए धर्मान्ध लोगों द्वारा किए गए प्रयत्नों से वे अच्छी तरह से परिचित थे। इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसे समय डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर को अपने वर्ग के सैकड़ों मिलटरी से सेवानिवृत्त हुए सैनिक दिखाई दिए। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारतीय समाज में समता प्रस्थापित करने के लिए इन सेवानिवृत्त सैनिकों को संगठित होने का आव्हान किया। आव्हान करते ही इन सेवानिवृत्त सैनिकों को चुपचाप बैठे रहना उचित नहीं लगा, उन्होंने डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे सच्चे मार्गदर्शक की बातों का महत्व समझा तथा समाज में समता प्रस्थापित करने और सच्ची लोकसेवा के लिए वे इकट्ठा हुए।

महाड़ आंदोलन से पाँच दिवस पूर्व, **13 मार्च, 1927 रविवार को मुंबई** में सुभेदार सवादकर की सहायता से 'समता सैनिक दल' की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस दल में अधिकतर सेना से निवृत्त सैनिक थे, जिसमें आयुष्मान शंकर वडवलकर, धागाँवकर हवालदार, अर्जून जातेकर, लोटेकर, सिताराम हाटें वीरकर, गोपाल आचलोलकर, कृष्णा तांबे तथा सुभेदार सवादकर इत्यादी। इसमें सुभेदार सवादकर अधिक लढाऊ तथा धूरंधर सैनिक थे। वे इन सबमें अग्रक्रम में थे।

कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद् की बैठक महाड में सि.प्रा. ना. मंडल के नाट्यगृह में 19 तथा 20 मार्च, 1927 को आयोजित की गई थी। परिषद् में 3000 से भी अधिक अछूत लोग जमा हुए थे। अधिवेशन समाप्ती के समय मा. अनंत विनायक चित्रे कहा, 'आज इतनी महत्वपूर्ण परिषद् आयोजित की गई है, इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए बिना हमारा अधिवेशन समाप्त नहीं होना चहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इस महाड शहर में अछूतों को पीने के पानी के लिए काफी मुसीबत उठानी पड़ती है। यह समस्या हल होनी चाहिए इसलिए नगरपालिका ने यहाँ के तालाब सभी जातियों के लिए खुले किए है ऐसा बहुत पहले जाहीर किया गया है। परंतु उस तालाब पर पानी भरने की कोशिश अछूत लोगों ने अभी तक शुरू नहीं की है। यदि आज इस परिषद् द्वारा सरकारी आदेश पर अमल किया गया तो परिषद् ने एक बहुत बड़ा काम किया ऐसा कहाँ

जाएँगा। भाइयों हम सभी अध्यक्ष महोदय के साथ महाड के चवदार तालाब पर प्रवेश करके अपना अधिकार प्राप्त करेंगे।' उसके बाद परिषद् के सभी लोगों द्वारा अध्यक्ष महोदय के साथ सभा मंडप से बाहर निकलकर एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस महाड़ शहर की बस्तियों से होते हुए बहुत ही शांतता से तालाब पर गया।

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर स्वयं तालाब के किनारे पर खड़े रहे। जिस तालाब पर पशु–पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे, किन्तु अछूतों को उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी पूण्यभूमी और मातृभूमी में पाबंदी थी, जिनके लिए सार्वजनिक स्थलों एवं मंदिरों में जाने के द्वार बंद थे, ऐसा वह महापुरुष हिन्दूधर्मान्धों का ढोंग भारत के खूंटी पर टाँग रहा था। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर चवदार तालाब की सिड़ियाँ उतरकर नीचे गए। वह झूके तथा उन्होंने तालाब का पानी हाथ में लेकर प्राशन किया। उपस्थित जनसमूदाय ने अपने नेता का अनुकरण किया! परिषद् स्थल पर जूलुस वापस आया और परिषद् का विर्सजन हुआ।

सवर्णो को यह सब कुछ ठिक नहीं लगा और उन्होंने सत्याग्रहीयों को मारा–पिटा, उनके खाने में मिट्टी मिलाई। महाड़ आंदोलन के समय 'समता सैनिक दल' स्थापित करके केवल पाँच–छह दिन ही हुए थे। समता सैनिक दल के सैनिकों की संख्या भी इस समय बहुत कम थी। फिर भी इन सैनिकों ने बहादुरी दिखाते हुए इसका बदला लेने के लिए डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर से अनुमती मांगी। किन्तु परिस्थिति को भांपते हुए डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने अनुमती नहीं दी और सभी को अपने–अपने गांव लौटने के लिए कहा।

रोज–रोज के अन्याय अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए अब समता सैनिक दल की आवश्यकता महसुस की जाने लगी। इस प्रकार समता सैनिक दल की शाखाएँ प्रत्येक शहर तथा गाँव–गाँव में स्थापित की गई।

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर हमेशा समता सैनिक दल की देखरेख किया करते थे। सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देते थे। समता सैनिक दल की संगठना का उन्हें अमर्याद विश्वास था। उनके कार्य के लिए उन्हें समता सैनिक दल अत्यंत सहाय्यकारी लगता था। उस समय पोयबावळी नाम से जाना जानेवाला मुंबई का इलाका समता सैनिक दल का गढ़ समझा जाता था। इसका मुख्यालय दामोदर हॉल, परेल, पोयबावड़ी, मुंबई में था। समता सैनिक दल मुख्यालय के प्रमुख सुभेदार सवादकर थे।

25, 26 तथा 27 दिसम्बर, 1927 को महाड़ पुनः सत्याग्रह का आयोजन गया। मार्च, 1927 की परिषद् में हिन्दुओं द्वारा अछूतों पर किए गए अत्याचार को ध्यान में रखते हुएं इस परिषद् की व्यवस्था के लिए मुंबई से समता सैनिक दल के पचास व्हॉलिंटिअर लाठी–काठीयों के साथ उपस्थित थे। 27 दिसम्बर, 1927 को अछूतों द्वारा महाड़ शहर में जब जुलुस निकाला गया था, उस समय गाँव के सवर्ण नेता गाँव छोड़कर भाग चुके थे। सवर्णो ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, हिन्दुओं के औरत–बच्चों ने ही नहीं तो पुरूषों ने भी रास्तों से धूमना बंद कर दिया था। इस समय तक समता सैनिक दल के सैनिक सवर्णो में अपनी धाक जमा चुके थे। यह परिषद् बिना किसी अड़चन के सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह नाशिक

3 मार्च, 1930 को नाशिक के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सैकड़ों महिला तथा पुरूष स्वयंसेवकों ने कालाराम मंदिर के दरवाजे के सामने धरना दिया था। यह सत्याग्रह कई वर्षो तक चलता रहा। इसे दीर्घावधी तक चलाने का श्रेय समता सैनिक दल को जाता है।

नागपुर में समता सैनिक दल की स्थापना

1 जनवरी, 1930 को नागपुर में समता सैनिक दल की स्थापना की गई। प्रारंभ में इसके पदाधिकारी बाबू हरदास एल. एन., रेवाराम कवाडे, विट्ठलराव सालवे, विट्ठल नगराळे, पुंडलिक भोयर, पवितपावनदास, रेवाराम कवाडे, आर. आर. पाटील, वाय. टी गायकवाड, रामटेके तथा एस. जी. मानके थे।

समता सैनिक दल के प्रतिनिधियों का कर्तव्य

शनिवार दिनांक 4 मार्च, 1933 को मुंबई के संडहर्स्ट मार्ग, वाडीबंदर के पास जी.आय.पी. रेल्वे की चाल के मैदान में आयोजित समारोह में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल के सैनिकों से कहा, **'समता सैनिक दल के व्हॉलिंटिअर के लिए मेंरी कुछ सूचनाएँ है। व्हॉलिंटिअर अर्थात हमारा ज्ञानवान तथा जाणकार पुरूष है, ऐसा मैं समझता हूँ। केवल खाकी रंग के कपड़े शरीर पर परिधान कर लेने से**

व्हॉलिंटिअर बन जाते है ऐसा मैं नहीं मानता। अपने समाज को सज्ञानी बनाना यह व्हॉलिंटिअर लोगों का मुख्य कर्तव्य है। अज्ञानी समाज को 'जनता' समाचारपत्र पढ़कर बताना एवं उसमें लिखी गई बातों को समझाना उनका कर्तव्य है। यह लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे, ऐसी मुझे आशा है।

समता सैनिक दल का मुख्य कार्य

समता सैनिक दल का मुख्य कार्य डिप्रेस्ड क्लास मिशन, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, शेड्यूल कॉस्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित सभा–सम्मेलनों, जलसों आदि की अनुशासनबद्ध व्यवस्था करना, अछूत समाज के युवकों में अनुशासन निर्माण करना, अछूत वर्ग पर हो रहे अन्याय–अत्याचार की जाँच करना इत्यादी कार्य था। जहाँ–जहाँ डिप्रेस्ड क्लास मिशन, स्वतंत्र मजदूर पाटी, शेड्यूल कॉस्ट फेडरेशन की शाखाएं होती थी वहाँ–वहाँ सहायक संस्था के रूप में समता सैनिक दल की शाखाएं भी होती थी।

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर को समता सैनिक दल के नवयुवकों पर काफी भरोसा था। यह इस बात से साफ जाहीर होता है कि सन् 1930 में जब कुछ गुमराह लोगों ने बाबासाहेब अम्बेडकर को गोलमेंज परिषद् के लिए इग्लैंड जाने के समय उनके जलसों में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की तो वे समता सैनिक दल के ही जवान थे, जिन्होंने उन गुन्डों की जलील हरकतों का मुँह तोड़ जबाब दिया।

समता सैनिक दल के स्वयंसेवक वर्दी पहन कर लाठी व सीटी से लैस होकर सभाओं व जलसों की व्यवस्था करते थे ताकि कोई गुँडें बदमाश किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा ना कर पाएँ और बाबासाहेब अम्बेडकर के जान को कोई ख़तरा न हो। वे लाठी–काठी आदि से रक्षा की कला में निपुण रहते थे। इसके अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना अनुशासन बनाए रखना तथा प्रथमोपचार आदि दल का मुख्य कार्य था। इनके जलसों या सभाओं में व्यवस्था के लिए पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती थी।

1937 का आम चुनाव और दल

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल के नौजवानों की बड़ी सरहाना की। सन 1936 में जब डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर युरोप के दौरे पर गए तो, समता सैनिक दल के सैनिकों की सलामी का जबाब देते समय उन्होंने दल को धर्म परिवर्तन के कार्य को चलाए रखने और सन् 1937 में होने वाले चुनाव में लोगों को अपना वोट देने के अधिकार के बारे में जागृत करने का आदेश दिया। समता सैनिक दल के सैनिकों ने इस कार्य को बहुत बखुबी निभाया। दल के सैनिकों ने सन् 1937 के चुनाव में लोगों को चुनाव का महत्व ही नहीं समझाया बल्कि उन्हें अपने घरों से निकालकर अपने उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। समता सैनिक दल के सैनिकों के कारण ही मुंबई में स्वतंत्र मजदूर पार्टी के 17 उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवारों को सफलता मिली।

समता सैनिक दल के सैनिकों को संदेश

रविवार 8 जनवरी, 1939 को प्रातः परेल मुंबई के कामगार मैदान पर समता सैनिक दल के सैनिकों की परेड़ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने सैनिकों को सम्बोधित करते हुए कहा, 'समता सैनिक दल का सैनिक अर्थात समाज सेवा के लिए सर हथेलीपर रखकर लढ़ाई के लिए सज्ज हुआ निर्भय योद्धा ही कहना चाहिए। मानवता के लिए समानता का उज्वल तत्व अंतःकरण में प्रज्वलित कर अपने कार्य की उसने पुर्तता करनी चाहिए। इसके लिए सभी ने प्रतिज्ञा लेकर किसी भी प्रकार का जातिभेद नहीं मानूंगा – महार, माँग, भंगी जैसे ऊँचनिचताकें भेद नहीं मानूंगा। मैं इन्सान हूँ, सभी से इन्सानियत की तरह बर्ताव करूँगा और विषमता के जहरीले बीज समाज से नष्ट करूँगा। इस प्रकार आज से दृढतापूर्वक पालन करना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले व्यक्ति को ही समता सैनिक दल का सच्चा सैनिक समझना चाहिए। कुल ऐसी स्थिति का विचार करते हुए अपना दल आजादी की लढाई में पिछड़े वर्ग के मोर्चे की एक लडाकु टुकड़ी है। यह पूर्णतः ध्यान में रखें। आपने अपने हर एक कृति से देश के आदर्श सैनिक बनना चाहिए। आपकी ओर देखते ही सैनिक दल का एक उत्कृष्ठ नमूना इस दृष्टि से आपका सारे संसार में नाम होना चाहिए। अच्छे गुण, अनुशासन और संगठन इनके द्वारा आपका दल फौलादी बनना चाहिए।'

दल के प्रति औरों का दृष्टिकोण

पूना के शनीचर (शनिवार) बाड़े के सामने स्वयंसेवकों के कार्यसंबंधी भाषण देते हुए सरदार वल्लबभाई पटेल ने कहाँ था, **संगठन अनुशासन, कार्य की चिंता और वह सफल करके दिखाने की धमक इस दृष्टि से विचार करते हुए स्वतंत्र मजदूर पाटी के स्वयंसेवक कांग्रेस के स्वयंसेवकों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह उनके रगों में बसा हुआ विशेष गुण दूसरे स्वयंसेवकों ने अवश्य अपनाने का प्रयत्न करना करना चाहिए।**

मा. जयकर, डॉ0 मुंजे, महाराजा ऑफ रेवा तथा मौलाना शौकत अली ने भी समता सैनिक दल के संबंध में प्रशंसा की। हिन्दू महासभा का नहीं तो कम से कम अछूतों का समता सैनिक दल मौलाना शौकत अली के खिलाफत टुकड़ी के बराबर खड़ा देखकर डॉ0 मुंजे खुश हुए। इन दोनों दलों की लढाई हुई तो क्या परिणाम होगा ऐसा सूचक प्रश्न उन्होंने डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर से पूछा था। इसका उत्तर देते हुए डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था, 'मुसलमान तथा अछूत समाज इनमें कलह निर्माण होने का कोई कारण नहीं है तथा एकदूसरे के काम में सहायता करना ऐसा हमारा आपस में तय हुआ है।' यह सुनकर डॉ0 मुंजे बिल्कुल स्तब्ध हुए।

समता सैनिक दल के अधिवेशन

ऑल इंडिया समता सैनिक दल का प्रथम अधिवेशन नागपुर के मोहन पार्क में 20 जुलाई, 1942 को पंजाब के नेता सरदार गोपाल सिंग, एम.बी.ई., एम.एल.ए. इनकी अध्यक्षता तथा डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

अखिल भारतीय समता सैनिक दल का दूसरा अधिवेशन रविवार दिनांक 30 जनवरी, 1944 को माननीय बी.के. गायकवाड तथा डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रमुख उपस्थिति में कानपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा, 'समता सैनिक दल यह हमारे राजनीतिक पार्टी की ताकत है। लड़ने वाले सैनिकों के बिना कोई भी पार्टी बलवान नहीं हो सकती। हमें तो बड़े–बड़े संगठनों से टक्कर लेनी है। इसलिए हमने समता सैनिक दल का विस्तार करना चाहिए। समता सैनिक दल का विस्तार करना यह प्रत्येक नेता का कर्तव्य है।'

अखिल भारतीय समता सैनिक दल का तिसरा अधिवेशन रविवार दिनांक 6 मई 1945 को नरे पार्क, जी.आय.पी. रेलवे वर्कशॉप के सामने, परेल मुंबई में मा. जे.एच. सुबय्या, आंध्र–प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

अखिल भारतीय समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के परिनिवार्ण के बाद दिनांक 4 अक्टूबर, 1957 को दीक्षा भूमि, नागपुर में कर्मवीर हरिदास आवले बाबू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

समता सैनिक दल में महिलाओं का सहभाग

20 सितम्बर, 1944 को डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने हैद्राबाद के जीरा मैदान की सभा में स्त्रियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहाँ, 'आज की सभा में स्त्रियों का उत्साह देखकर मुझे विशेष खुशी हो रही है। यहाँ की स्त्रियाँ अच्छा भाषण दे सकती है, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। यहाँ की महिलाएं साफ–सुथरा रहना सिख गई है। **समता सैनिक दल की शाखा स्थापित करके स्त्रियों ने भी उसमें बड़ी संख्या में भाग लिया है, इसलिए काफी समाधान हो रहा है।** आज के अवसर पर महिलाओं को मुझे जो संदेश देना है, वह यह है की, महिलाओं ने पुरूषों के साथ सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। पुरूष वर्ग आगे जाकर महिलाएं यदि पीछे रही तो, किसी भी समाज की प्रगति नहीं हो सकती। गाड़ी का एक पहिया यदि बेकार हो गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए महिलाओं ने कंधे से कंधा लगाकर लढ़ना चाहिए, तभी हमारी आजादी हमे जल्दी मिलेंगी।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल का संविधान

अखिल भारतीय समता सैनिक दल के द्वितीय अधिवेशन 30 जनवरी, 1944 को कानपुर में संपन्न अधिवेशन में समता सैनिक दल का अखिल भारतीय स्तर का संविधान बनाने के लिए 'संविधान समिति' बनाई गई थी। इस समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट बनाने के बाद डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर की ओर भेजा। डॉ0 बाबसाहेब अम्बेडकर ने जाँच करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया। समता सैनिक दल के संविधान के प्रथम उद्देश्य में, 'वंश, धर्म, जाति, लिंग या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार की विषमता नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना तथा स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित नए समाज की रचना करने के लिए अछूत समाज के सभी लोगों का एकत्रिकरण' ऐसा दिया गया है। इस देश में अधिकांशतः सामाजिक संगठन अपने अपने धर्म या जाति की रक्षा करने के लिए ही बनाए जाते है। उस समय सवर्णों द्वारा अछूतों को तरह–तरह की यातनाएं दी जाती थी। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर यदि चाहते तो केवल अछूत समाज के उन्नति के लिए ही कार्य कर सकते थे। किन्तु वे सच्चे देशभक्त होने के कारण उन्हें अछूतों से भी ज्यादा देश की चिंता थी। समता सैनिक दल के उद्देश्य पढ़ने से हमे पता चलता है की डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर समता सैनिक दल के माध्यम से वंश, धर्म, जाति, लिंग या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार की विषमता को नष्ट करके स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज का नवनिर्माण करना चाहते थे।

आज का यूवक नशाखोरी एवं स्वार्थ का आदि हो चुका है। समता सैनिक दल के संविधान के उद्देश्य तीन के अनुसार डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने युवकों में 'स्वाभिमान, स्वावलंबन तथा सामाजिक–सांस्कृतिक एवं अन्य प्रकार के कार्य करने पर बल दिया। ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ठीक तरह से कार्य किया गया तो, युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत की जा सकती है।

समता सैनिक दल की धारा 4 (1) में इसके द्वारा दी जानेवाली शिक्षा के संबंध में यह कहाँ गया है, 'समता सैनिक दल द्वारा शारीरिक, बौद्धिक तथा सैनिकी शिक्षा दी जाएगी।' इससे समझ में आता है की समता सैनिक दल केवल सभा सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं था, 'यह देश के लिए देशभक्त पैदा करने की कंपनी थी।' जिसका हर सदस्य शारीरिक बौद्धिक तथा सैनिकी शिक्षा से परिपूर्ण था।

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल के संविधान की धारा सात के माध्यम से युवकों को साप्ताहिक कार्यक्रम दिया है।

आज प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार, व्यभिचार, चुगलखोरी, नशाखोरी, भाई–भतीजावाद से लिप्त है। समाज से नैतिकता बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। युवकों में नैतिकता लाने के लिए डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर सोमवार को युवकों को नैतिक शिक्षा देने के लिए कहते है। वे कहते हैं, 'जिसके पास नैतिकता हो वह व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, वह हमेशा समाज तथा राष्ट्र के कल्याण के बारे में ही सोचेगा।' नैतिकता से परिपूर्ण नेताओं के हाथों में राजनीतिक या प्रशासनीय सत्ता मिले तो वे हमेशा हर समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।

मंगलवार को खेल तथा शारीरिक शिक्षा के संबंध में लिखा है। भारतीय खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय खेल में अन्य देशों के मुकाबले टीक नहीं पाते, इतना ही नहीं शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति स्वस्थ तथा तंदुरूस्त रहता है। इस कमी को पूरा करने के लिए समता सैनिक दल के माध्यम से खेल तथा शारीरिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था।

बुधवार को सैनिक शिक्षा देने के संबंध में कहाँ गया है। 'सैनिक शिक्षा' में अनुशासन तथा दुश्मनों से निपटने के गुर सिखाएं जाते है। देश में फैली अराजकता पर नियंत्रण रखने के लिए देश तथा समाज पर आई विपत्ति के समय ऐसे सैनिकों की सहायता ली जा सकती है। गुरूवार को पुनः शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के संबंध में कहाँ गया है।

शुक्रवार को प्रथमोपचार के प्रशिक्षण के संबंध में लिखा है। खेल मे, दुश्मनों से लड़ते समय या अचानक दुर्घटना के समय जख्मी हुए व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाने में देरी हो सकती है, जिससे जख्मी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि प्रथमोपचार की जानकारी हो तो ऐसे समय जख्मी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। शनिवार को फिर से सैनिकी शिक्षा देने का प्रावधान है।

रविवार को राजकीय तथा सामाजिक शिक्षा देने के संबंध में लिखा है। रविवार दिवस सरकारी छुट्टी का होता है। इस दिन स्कुल कॉलेज तथा सरकारी कार्यालय बंद होते है। इसलिए रविवार को देश में चल रहे राजकीय तथा सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा करने तथा दलितों की राजकीय तथा सामाजिक समस्या छुड़ाने के लिए हल ढूंढा जा सकता है। जिस समय यह संविधान बनाया गया था डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धम्म की दिक्षा नहीं ली गई थी। अतः अब इसमें धार्मिक शिक्षा भी जोड़ी जा सकती है। इस प्रकार डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने समाज तथा देश का सच्चा नागरिक बनने के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम दिया था।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल के संविधान की धारा आठ में अनुशासन का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है, 'किसी भी सैनिक या अधिकारी ने धूम्रपान, मद्यपान, अधिकारीयों के आज्ञा का पालन न करना या अन्य कोई भी अपराध करने पर पहली बार उसे वार्निंग दी जाएगी। वॉर्निंग देने के बाद यदि उसने इस प्रकार का कृत्य नहीं छोड़ा तो उसका युनिफार्म उतारकर उसे दल से निकाल दिया जाएँगा।' धूम्रपान तथा मद्यपान की आदत शरीर के साथ–साथ दिमाग को भी निगल जाती है। इसलिए ऐसे आदतों से ग्रस्त युवकों को वार्निंग देकर एक बार सुधरने का मौका देने के लिए कहाँ गया है, फिर भी यदि इनकी आदत नहीं छुटी तो दल से निकालने के बारे में कहाँ गया है। इससे सहज ही समझा जा सकता है की डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर को किस प्रकार के युवक अपेक्षित थे।

समता सैनिक दल के संविधान के अनुसार इसका सदस्य बनने वाले प्रत्येक सदस्य को प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, ताकि उसे अपने कतर्व्य हमेशा याद आती रहे। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार से

थी, 'शेड्यूल्ड कास्ट जाति का घटक इस नाते से मैं, समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा लेता हूँ की मेरे जाति पर होनेवाला जुल्म, उसकी होनेवाली अवहेलना तथा उसकी गुलामी यह सभी नष्ट करने का पवित्र तथा उदात्त कार्य मैं अत्यंत निष्ठा से करूँगा, उसके लिए आवश्यक सभी अनुशासन का पालन करूँगा, स्वीकारे गए कार्य का अत्यंत शौर्य तथा इमानदारी से पालन करूँगा। मेरे वर्ग तथा जाति के लोगों के न्याय तथा इन्सानियत के अधिकारों की रक्षा के लिए समता सैनिक दल के सभी आज्ञाओं का मैं पालन करूँगा।'

समता सैनिक दल पर पाबंदी

समता सैनिक दल प्रगतिपथ पर रहते हुए अचानक इसपर बंदी लगाई गई। 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई। इस बारे में सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होने की जानकारी प्राप्त मिली। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगाने के लिए इसके समान अन्य सभी स्वयंसेवी संस्थाओं पर भी बंदी लगाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। अतः समता सैनिक दल पर भी बंदी लाई गई। हरिदास आवले बाबू, (एम.एल.ए.) जैसे समता सैनिक दल के प्रभावी सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। इस संबंध में डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा भाऊराव गायकवाड के नाम दिनांक 16 मार्च, 1948 को एक पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने समता सैनिक दल के संबंध में कहाँ की, 'समता सैनिक दल बंद करने का में विरोधी हूँ। सरकार ने यदि किसी संगठन पर बंदी लाई तो उसे बंद किया जाना यह कायरता का तथा अनुचित मार्ग है। यदि कुछ समता सैनिक दल के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया होगा, वे यदि जेल में गए होंगे तो उन्होंने उतना कष्ट सहना चाहिए।' इस एक दो वर्ष की कालावधी में दल के कार्य में शिथिलता आई, परंतु दल की बंदी उठते ही इसका कार्य अधिक जोश तथा जोरों से शुरू हुआ और आगे संगठनात्मक तथा विस्तार की दृष्टि से कार्य किया गया।

इस संपूर्ण अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है की डॉ0 बाबासाहेब के संपूर्ण आंदोलन में समता सैनिक दल ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह फिर महाड़ का सत्याग्रह, नाशिक का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, 13 अक्टूबर,1935 की येवला परिषद्, 30–31 मई एवं 1 जुन,1936 को मुंबई में धर्मान्तर पर विचार करने के लिए बुलाई गई 'मुंबई प्रदेश महार परिषद्', स्वतंत्र मजदूर पार्टी द्वारा फरवरी–1937 में लड़ा गया चुनाव, 14–15 अक्टुबर,1956 की धम्मक्रान्ति या डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर अपार जनसमुदाय को संभालने की व्यवस्था हो, ऐसे सभी अम्बेडकरी आंदोलनों में समता सैनिक दल ने प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके इतिहास को अंबेडकरी जनता कभी भुला नहीं सकती।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के पश्चात समता सैनिक दल

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर जीवित रहते तक अछूतों को इनका निस्वार्थ नेतृत्व प्राप्त हुआ। इसलिए संपूर्ण अछूत समाज डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर पर विश्वास रखकर एकसंघ बना रहा। 6 दिसम्बर, 1956 को डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। इनके मृत्यु के कारणों की रिपोर्ट सरकार ने आज तक पेश नहीं की। इनके मृत्यु के अगले वर्ष अक्टूबर, 1957 में दीक्षा भूमि, नागपुर में 'रिपब्लिकन पार्टी' की स्थापना करके डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के सपने को साकार रूप दिया गया। किन्तु इन नेताओं के पास ठोस नेतृत्व तथा इनमें निस्वार्थ भावना नहीं होने के कारण अल्पावधी में ही इनमें दरारे पड़ गयी। 'अखिल भारतीय समता सैनिक दल' यह रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा था। जाहीर है समता सैनिक दल जिन नेताओं के इशारे पर कार्य करता था उनमें बिखराव होने के कारण समता सैनिक दल को भी बिखरना पड़ा। इस प्रकार जैसे–जैसे रिपब्लिकन पार्टी के गुट बनते गए वैसे ही समता सैनिक दल के भी गुट बनते चले गए। हर गुट अपने पार्टी या दल को बाबासाहेब अम्बेडकर की सच्ची पार्टी या दल साबित करने के लिए मूल समस्या तथा प्रश्नों को अलग रखकर आपस में ही लड़ते–बिखरते रहे। इसका भरपूर लाभ सत्ताधारी पार्टीयों ने उठाया। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है दलितों के नेताओं को सत्ताधारी पार्टीयां लालीपॉप दिखाकर खरीद रही है, जिसके कारण दलितों के उन्नति का आंदोलन कमजोर पड़ गया।

डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने कमजोर वर्ग के उन्नति के लिए संविधान में जो प्रावधान किए थे उसे शक्ति से कभी भी लागू नहीं किया इसके लिए सत्ताधारी पार्टी तो जिम्मेदार है ही परंतु दलित नेता भी कम जिम्मेदार नहीं है जो सामुहीक रूप से आंदोलन नहीं कर सके।

आज दलित समाज में दो वर्गों का निर्माण हुआ है एक वर्ग गरीब अशिक्षित वर्ग तथा दूसरा शिक्षित मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा प्रदान की गई सभी सहुलतों को डकार रहा है। परंतु अपने ही गरीब भाइयों की ओर इनका कोई ध्यान नहीं। गरीब वर्ग की आज भी डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रति निष्ठा है परंतु अधिकांश मध्यम वर्ग डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के आंदोलन से दूर होते जा रहा है। यह

वही गरीब वर्ग है जिसे डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने साथ लेकर अधिकार की लड़ाई लड़ी। आज भी उच्च–मध्यम वर्ग पर अन्याय होता है तो इन्हीं गरीब भाइयों का अपने उच्च–मध्यम वर्ग के भाइयों के प्रति दिल दुःखता है। यह लोग बासी टुकड़े बांधकर मोर्चा निकालने के लिए अपने घरों से निकलते है एवं सुख–सुविधा से संपन्न अपने भाईयों के अधिकारों की रक्षा करते है। इसलिए दलित समाज के मध्यम तथा संपन्न वर्ग ने भी सोचना चाहिए की उन्हें आज जो रोटी मिल रही है, उसमें उनके गरीब भाइयों का भी हिस्सा है। इसलिए इन्हें अपने गरीब भाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

समता सैनिक दल आज भी अम्बेडकरी समाज की जरूरत है। इसके कई धड़े अपने–अपने ढंग से कार्य कर रहे है। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा समता सैनिक दल का संविधान बनाया गया है। यदि सभी घटकों ने इसके अनुसार चलने का निश्चय किया तो एकजुट होने के लिए विवाद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आशा है समाज इसपर निश्चय ही गौर करेगा।

–000–

ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत)

रिपब्लिकन पार्टी कई गुटों में विभाजित होने के बाद। लाजमी तौर पर समता सैनिक दल का भी कई गुटों में विभाजन हुआ। इसके कारण अम्बेडकरी समाज भी कई गुटों में विभाजित हो गया। किन्तु अभी भी कुछ अम्बेडकरी निष्ठावान कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्होंने किसी भी गुट में शामिल न होकर डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के मूल संगठन को जिंदा रखना बेहतर समझा। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद वर्ष 1978 आते–आते समता सैनिक दल के सभी गुटों की गतिविधियॉ थम सी गई। इस अवधी में समाज विरोधी तत्वों पर समता सैनिक दल का जो दबदबा था वह भी जाता रहा। फिर से समाज में अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा। परिस्थिति को भांपकर डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ समता सैनिक दल में कार्य कर चुके कुछ वरिष्ठ निष्ठावान सैनिकों ने ऑल इंडिया समता सैनिक दल का पुनर्गठन करने के लिए 25 एवं 26 जनवरी, 1978 को नागपुर में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का पुनर्गठन करके इसे पूर्णतः गैर राजनैतिक संगठन के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में संपूर्ण देश से कई वरिष्ठ अम्बेडकरी निष्ठावान सैनिकों ने सहभाग लिया और दल को मजबूती प्रदान करने का आश्वासन दिया। दल के निष्ठावान और निस्वार्थ समता सैनिकों की मेहनत रंग लाई और सन् 1983 आते–आते ऑल इंडिया समता सैनिक दल की शाखाएं संपूर्ण भारत के कोने–कोने में स्थापित हो गई।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वर्ष 1988 में इसे अखिल भारतीय स्तर पर पंजिकृत किया गया। इसका पंजीयन क्रमांक एफ–7471/88/नागपुर है। यह दल पूर्णतः गैर राजनैतिक संगठन है। वर्तमान में दल की संपूर्ण भारत के 17 राज्यों में शाखाएं विद्यमान है। दल एक गैर राजनैतिक संगठन होने से इसमें सरकारी कर्मचारियों सहित दलित समाज के सभी अम्बेडकरी विचारधारा पर चलनेवाले नागरिक भाग ले सकते है। अम्बेडकरी विचारधारा पर चलना अर्थात देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज के नवनिर्माण के लिए आदर्श नागरिक बनकर प्रयत्नशील रहना है। इस संगठन ने डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा समता सैनिक दल को दिए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। अपवाद स्वरूप दल को पंजीकृत करते समय नियमावली को सरल बनाया गया है।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल के अधिवेशन (पंजीकृत)

ऑल इंडिया समता सैनिक दल बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई सभी संगठनाओं को एकजुट और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर के विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए दल का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 25, 26 जनवरी, 1978 को नागपुर में, दूसरा अधिवेशन 9 एवं 10 दिसम्बर, 1978 को अम्बेडकर भवन, दिल्ली में, तिसरा अधिवेशन 21 एवं 22 फरवरी, 1981 को आगरा में, चौथा अधिवेशन 28 एवं 29 मई, 1983 को पंजाब के फगवाडा में, पांचवा अधिवेशन 27 एवं 28 दिसम्बर, 1986 को हैद्राबाद में, छट्ठा अधिवेशन 13 एवं 14 फरवरी, 1988 को राजस्थान के पाली मारवाड में, सातवा अधिवेशन 5 एवं 6 अक्टूबर, 1991 को हरियाणा के अंबाला शहर में, आठवां अधिवेशन 6 एवं 7 नवम्बर, 1993 को कर्नाटक के बिदर शहर में, नौवां अधिवेशन 1 एवं 2 अक्टूबर, 1995 को भोपाल में, दसवॉ अधिवेशन 10 एवं 11 जनवरी, 1997 को चेन्नई में, ग्यारवॉ अधिवेशन 9 एवं 10 नवम्बर, 2002 को पंजाब के जालंधर शहर में तथा बारवॉ अधिवेशन 25 एवं 26 दिसम्बर, 2005 को आन्ध्रप्रदेश के वारंगल शहर में संपन्न हुआ। इन सभी अधिवेशनों में समाज तथा

राष्ट्रहितकारी कई प्रस्ताओं को पारित किया गया और उसे सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत) की उपलब्धि

ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने इस अल्पावधी में बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर के सपनों का समाज निर्माण करने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए, जिसमें –

अप्रकाशित ग्रंथों का प्रकाशन – बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर की मुम्बई में धर्मदाय आयुक्त के कार्यालय में खराब हो रही हस्तलिखित अप्रकाशित पांडुलिपियाँ सरकार द्वारा प्रकाशित कराने के लिए दल ने 4 अक्टूबर, 1986 को मुम्बई में 'अप्रकशीत ग्रंथ सम्मेलन' का आयोजन करके तथा ॲड0 बन्सोड के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर करके अप्रकाशित ग्रंथों को प्रकाशित कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बाध्य किया। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के सरकार द्वारा जो ग्रंथ प्रकाशित किए गए यह समता सैनिक दल के अथम प्रयास का नतिजा है।

दलितों की स्वतंत्र कॉलोनियाँ – बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर ने 1942 में 'गांधी और अछूतों की आजादी' नामक ग्रंथ प्रकाशित करके मनुवादी लोगों से दलितों की स्थायी मुक्ति के लिए इनकी 'स्वतंत्र कॉलोनियाँ' निर्माण करने का विचार दिया था। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के इन विचारों की ओर यथोचित ध्यान नहीं देने के कारण आए दिन खैरलांजी ग्रांम में हुआ दलित नरसंहार हर दिन कही न कही सुनने को मिलता है। बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर के इस विचार पर अमल करते हुए ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने दल के निष्ठावान कार्यकर्ता भूतपूर्व चेअरमन स्मृतीशेष ए. रामकिशन के नेतृत्व में आन्ध्रप्रदेश के आदिलाबाद जिले के सुरूचापल्ली गाँव की पांच सौ एकड़ बंजर भूमि पर बौद्धों और दलितों की 'स्वतंत्र कॉलोनी' बसाई और इसमें बसे प्रत्येक परिवार को पाँच–पाँच एकड़ भूमी बाटकर इन परिवारों के उपजीविका का साधन निर्माण कर दिया।

अस्थाई व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक – राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधुपर विश्वविद्यालय में 124 व्याख्याताओं की नियुक्ति में आरक्षित पदों के लिए नियमों का पालन न करने के कारण ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जोधपुर शाखा ने आरक्षण नियमों का पालन न करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और दलित समाज को न्याय दिलाकर ही दम लिया।

विविध विषयों पर सम्मेलनों का आयोजन – ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने समय–समय पर विविध विषयों पर कई सम्मेलनों का आयोजन करके समाज जागृति का कार्य किया। जैसे महिला सम्मेलन, समाज जागृति सम्मेलन, अन्याय अत्वाचार विरोधी सम्मेलन, व्यसनमुक्ति सम्मेलन, ग्रामीण भूमिहिन मजदूर सम्मेलन, महिला शिक्षा प्रोत्साहन शिबीर, स्वास्थ निदान शिबीर, रोजगार मार्गदर्शन शिबीर इत्यादी.

मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण – डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के मार्गदर्शन तथा माननीय जे.एच. सुबय्या (हैद्राबाद) की अध्यक्षता में अहिल्याश्रम, पुना में मंगलवार दिनांक 2 अक्टूबर, 1945 को ऑल इंडिया समता सैनिक दल का मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र 'नागपुर' में निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर का यह सपना उनके जीते जी तो पूरा नहीं हो सका। किन्तु ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के इस सपने को पूरा कर दिखाया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की ओर से नागपुर स्थित चिचोली ग्रांम में समता भूमि (चिचोली) में नैसर्गिक वातावरण में मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया है। यथाशिघ्र समता सैनिकों को यहां से प्रशिक्षित किया जाएगा। दल ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए है। विस्तारभय की दृष्टी से उसका यहां बखान करना उचित नहीं होगा।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल के द्देश्य और कार्यक्रम

ऑल इंडिया समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा दल को दिए गए संदेश पर अमल करते हुए समाज का नवनिर्माण करना है। दल के कार्यक्रम में निम्नलिखित मुद्दे शामिल है –

1. समता सैनिक दल एक स्वतंत्र व गैर–राजनैतीक संगठन रहेगा। यह किसी भी राजनैतिक दल अथवा गुट के साथ संलग्न नहीं होगा। न यह किसी राजनैतिक दल अथवा गुट के मार्गदर्शन के अनुसार काम करेगा। दल केवल उसी के साथ सहकार्य करेगा जो उसके ध्येय और उद्देश्यों से सुसंगत होगा।

2. समता सैनिक दल भारतीय समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गो, जैसा कि, बौद्धों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के शारीरीक, बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा।

3. दल ऐसा कार्यक्रम तैयार करेगा जिससे जातिभेद, संकीर्णता और घृणा का निर्मूलन हो और अन्तरजातीय तथा आन्तरप्रदेशीय विवाहों को प्रोत्साहन मिले।

4. दल सभी शोषितों को, बिना लिहाज जाति, भाषा, प्रांत, मजहब और लिंग, के संगठित करेगा।

5. दल न्याय, बुद्धिवाद, स्वतंत्रता और भातृभाव पर आधारित समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करेगा।

6. दल, भेद–भाव, छूआछात, ऊँच–नीच, जाति–पांति वंश, धर्म, लिंग और वर्ग पर आधारित सामाजिक व आर्थिक असमता व असमानता को मिटाने के लिए प्रयत्न करेगा।

7. शोषित व पिड़ित वर्गों को जागृत करना, उनमें एकता लाना और उनको संगठित करना ताकि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा व न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सके।

8. सामाजिक व नसली अल्प–संख्यकों, जैसे कि बौद्धों, अछूतों, आदिवासियों एवं अन्यायग्रस्तों इत्यादी की शोषण, अन्याय–अत्याचार से रक्षा करना।

9. युवकों को शारीरिक, नैतिक व बौद्धिक शिक्षा प्रदान करना।

10. युवकों मे अनुशासन पैदा करना और उनमें कानून व न्याय के प्रति आदर की भावनाएं उत्पन्न करना।

11. लोगों को नशीली वस्तुओं, जैसे कि शराब, अफीम, तम्बाखू खाना व पीना, नशे की गोलियां आदि, के बुरे परिणामों के बारे में सूझबूझ प्रदान करना।

12. लोगों को वातावरण व वायुमण्डल दूषित करने के बारे में सावधान करना और उनमें स्वच्छता की आदतें पैदा करना।

13. प्राकृतिक व मानव द्वारा पैदा की गई विपत्तियों में लोगों की सहायता करना और उन्हें राहत पहुंचाना।

14. लोगों को अन्धविश्वासों, सामाजिक व धार्मिक रूढ़िवादी, निरर्थक रीति–रिवाजों पर की जा रही फिजूल खर्चियों के विरूद्ध सचेत करना, तथा उनमें बुद्धिवाद, वैज्ञानिक विचारधारा और मानवतावाद की समाज–हितकारी भावनाएं भरना ताकि वे शोषण रहित समाज के लिए संघर्ष कर सकें।

15. विभिन्न धार्मिक साम्प्रदायों और सामाजिक गुटों में सांस्कृतिक गतिहीनता को दूर करके, उनमें आपसी मेल मिलाप व सह अस्तित्व की भावना बढ़ाना।

16. नारियों, विशेषकर दलित व पिछड़े वर्ग की स्त्रियों, में जागृति पैदा करना और उन्हें संगठित करना ताकि वे अन्धविश्वासों तथा धर्म के नाम पर प्रचारित व चिरस्थायी बनाई जा रही अज्ञानता से मुक्त हो सकें और अत्याचारों का बहादुरी से सामना कर सकें।

17. समता सैनिक दल संसार में शान्ति स्थापना के लिए प्रयत्न करेगा।

18. समान उद्देश्यों को लेकर कार्यरत अन्य संगठनाओं से तालमेल और सहयोग करना। दल ऐसे सभी प्रगतिशील संगठनों और आन्दोलनों से सहयोग करेगा जो उसके उद्देश्यों के प्रतिबद्ध हैं।

19. बौद्धों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों इत्यादी में सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐसी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा ताकि उनमें स्वसम्मान, स्वयं निर्भरता और स्वार्थ–त्याग की भावनाएं पैदा हों।

20. अम्बेडकरी आंदोलन मे योगदान देनेवाले समता सैनिकों की याद मे 'केन्द्रीय कांतिस्तंभ' का निर्माण करना।

21. संपुर्ण भारत मे राज्य, जिला, शहर, गांव एवं वार्ड स्तर पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल की शाखाएं स्थापित करना।

22. शिक्षा कैम्प, शाला, क्लब, कक्षा, व्याख्यान, चर्चा, समिति, वाचनालय तथा समय–समय पर योग्य समझे जानेवाले अन्य कार्य का संघठन ऑल इंडिया समता सैनिक दल करेगा।

23. डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था, ''मै सर्वधर्म अध्ययन केन्द्र स्थापित करूँगा, ताकि सभी धर्मो का तौलनिक अध्ययन हो सके। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन केन्द्र में से शिक्षा लेकर निकलनेवाला हर व्यक्ति अंतत बौद्ध होकर ही बाहर निकलेगा।'' डॉ0 बाबासाहेब

अम्बेडकर के इस सपने को साकार रूप देने के लिए समता सैनिक दल कृतसंकल्प रहेगा।

मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र से चलनेवाले कार्यक्रम

ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मुख्य केन्द्र से प्रशिक्षार्थियों को शारिरीक, बौद्धिक, नैतिक तथा मानसिक शिक्षा के साथ ही संघटनात्मक कार्यपद्धति के सम्बन्ध में भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके पाठ्यक्रम में साधारण तौर पर निम्नलिखित बातों का समावेश किया गया है :–

शारिरीक शिक्षा :

कवायद, पी.टी. परेड एवं शाखा संचालन का प्रशिक्षण। बौद्धिक तथा मनोरंजनात्मक खेल और कलाबाजीया। लाठी–काठी, ज्युडो–कराटे इत्यादी आत्मसुरक्षा के उपाय। नागरी सुरक्षा (सिव्हिल डिफेन्स), प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) सांप्रदायिक दंगो में आत्मसुरक्षा और प्राथमिक रोकथाम, संचार बाधा (कम्युनिकेशन गॅप) के तरीके, आगजनी, बाढ और तत्सम अपघातों में राहत कार्य की पद्धतियाँ।

बौद्धिक प्रशिक्षण :

भारतीय समाजव्यवस्था – स्वरूप, संक्षिप्त में विकासात्मक इतिहास, लक्षण और विशेषताएं, महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मोड़ तथा परिवर्तन की घटनाएं। आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनितीपर प्रभाव।

बुद्ध धम्म – संक्षिप्त इतिहास और दर्शन, भारतीय समाजव्यवस्था में बुद्धधम्म का स्थान एवं प्रभाव तथा उपलब्धियाँ, अन्य धर्म और बुद्ध धम्म का तुलनात्मक अध्ययन, सामाजिक और आर्थिक समानता हेतू बुद्ध–धम्म की आवश्यकता और उपयोगिता (युटिलिटी)।

अम्बेडकरी आंदोलन – अम्बेडकरवाद क्या है ? परिभाषा, परम पूज्य डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर का धार्मिक, आर्थिक सामाजिक और राजनितिक दर्शन तथा सिद्धान्त। संसार की प्रमुख विचारधाराएँ और अम्बेडकरी जनता का तुलनात्मक अध्ययन। अम्बेडकरी आंदोलन की वर्तमान स्थिती। अन्य अम्बेडकरी संघटन और समता सैनिक दल।

भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याए और कुप्रथाए। चातुर्वर्ण, जातियता, सामाजिक स्तरियकरण, सांप्रदायिक दंगे, मजदूर और गरीब तथा अल्पसंख्याक इकाइयाँ, आदिवासीयों तथा स्त्री–वर्ग का शोषण, बंधक मजदूर, औद्योगिक क्षेत्र में बालकों का शोषण और अपराधिक प्रवृत्तीयाँ। बालविवाह, सतीप्रथा, देवदासी प्रथा, दहेज और स्त्रियों पर बढ़ते हुए अन्याय, अत्याचार, बलात्कार।

दलित, बौद्धों पर बढ़ता हुआ अन्याय अत्याचार और उसके तौर तरिके, आरक्षण संबंधी आंदोलन, मानवीय अधिकारों का हनन। पृथकतावादी और विध्वंसकारी ताकतों और प्रवृत्तियों का हनन। इन समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन और इन समस्याओं के समाधान हेतु अम्बेडकरी विचारधारा के तहत, समता सैनिक दल द्वारा सुझाव और योजना।

समता सैनिक दल – समता – स्वरूप और परिभाषा, समता सैनिक दल का संगठनात्मक और कार्य का इतिहास।
दल की जानकारी एवं विकास संबंधी चर्चा – अम्बेडकरी आंदोलन में समता सैनिक दल का योगदान। वर्तमान सामाजिक, धार्मिक आर्थिक, और राजनितिक स्थिति में दल के प्रचार–प्रसार तथा इसे अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने हेतु योजना और कार्य{म।

भारतीय संविधान – संक्षिप्त पार्श्वभूमी तथा ध्येय। परम पूज्य डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर और भारतीय संविधान। विशेषताए, उपलब्धियाँ, और मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक स्थिति में समता लाने हेतु भारतीय संविधान का महत्व, संविधान के दर्शक तत्व, मूलभूत अधिकार, घटना के तहत नागरिकों के कर्तव्य।

मानवीय अधिकार (ह्यूमन राईटस्) – मानवी अधिकार और मानवी अधिकारो पर अमल और सुरक्षा हेतु संरक्षण और आंतरराष्ट्रीय आंदोलन की संक्षिप्त जानकारी।

प्रारंभीक कानूनी जानकारियाँ – नागरी तथा सुरक्षा कानूनी प्रावधान और पद्धति। भेद–भाव तथा अस्पृश्यता प्रथा के विरोधी कानूनी प्रावधान। अनुसूचित – जाति, जनजाति और अन्य पिछडे वर्गो के लिए शिक्षा और शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नती हेतू प्रावधान और इस संबंध में होनेवाले अन्याय का निराकरण करने हेतु कार्यपद्धति एवं संस्थाओं के बारे में जानकारी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष राजनैतिक सुविधाएं (सुरक्षित सिटे)।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के विकास तथा कल्याण हेतू शासकीय योजनाएं तथा अन्य राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं द्वारा चलाई जानेवाली योजनाएं।

अन्य संगठन और समता सैनिक दल की भूमिका। सामाजिक और सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध और भूमिका। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं और दल की भूमिका।
अम्बेडकरी आंदोलनों के तहत धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभावी संगठन और एकरूपता लाने हेतू दल की भूमिका और कार्यक्रम।

नैतिक प्रशिक्षण :

1. नैतिक तथा मानसिक शिक्षा –
   1. नैतिकता का स्वरूप।
   2. भिन्न धर्म और नैतिकता।
   3. समाज पर सामाजिक नियंत्रण हेतू नैतिक शिक्षा का महत्व तथा उपयोगिता।

2. बुद्ध धम्म और नैतिकता –
   1. पंचशील, अष्टशील, पारमिता, बाईस प्रतिज्ञाएं।
   2. धर्म, अधर्म और सद्धम्म।
   3. मानसिक – स्मृती तथा ध्यान साधना, बुद्ध धम्म की विपश्ना, समाधी।

संगठनात्मक कार्य – अन्याय–अत्याचार की घटनाओं की जॉंच–पड़ताल, कारवाई और अहवाल (रिपोर्ट) की पद्धती, जनप्रबोधन, और जनसंपर्क तथा लोकसंग्रहात्मक कार्यपद्धतियॉं, नेता कार्यकर्ता और जनता–परस्पर संबंध, निर्णय, कार्यान्वयन।

ऑल इंडिया समता सैनिक दल का साहित्य

1) समता सैनिक दल का संविधान।
2) समता सैनिक दल; ध्येय, उद्देश्य और कार्यक्रम।
3) समता सैनिक दल क्या और क्यो ?
4) भगवान बुद्ध और उनका धम्म।
5) समता सैनिक दल – परिचय उद्देश्य और कार्य{म।

समता सैनिक दल का उद्देश्य अपनी शक्ति को नष्टकारी नहीं बल्कि निर्माणात्मक कार्यो के इस्तेमाल करना है। इस का इकाई मानव है और संपूर्ण मानवता की सेवा करना केन्द्रीय लक्ष है। इसलिए मानववादी होने के कारण इसका कार्यक्षेत्र संकुचित नही, विशाल है।

–000–

ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत) के नियम एवं शर्ते

सदस्यत्व – समता सैनिक दल के सदस्य तीन प्रकार के होंगे –
(क) कार्यकारी सदस्य,
(ख) सहायक सदस्य एवं
(ग) कनिष्ठ सदस्य

ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सदस्य बनने के इच्छूक सभी व्यक्ति लिखित में एक निवेदन देंगे तथा साथ में सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क भी देंगे और विहीत नमुना पत्र/फॉर्म में ''प्रतिज्ञा प्रत्र'' भी देंगे। सदस्यता की स्वीकृती के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

सदस्यता शुल्क, दल की कार्यकारी परिषद् द्वारा तय किया जायेगा।

सदस्य के अधिकार एवं कर्तव्य

(क) क्रियाशील सदस्य : संगठन के ''कार्यकारी सदस्य'' (Active Members) नियुक्त करने का अधिकार संगठन के ''कार्यकारी परिषद्/काऊन्सिल'' को होगा। ''क्रियाशील सदस्य'' की नियुक्ति संगठन के संस्थापक डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों के प्रति प्रामाणिकता, समाज के प्रति कार्य करने की इच्छा, सामान्य ज्ञान, शिक्षा आदि पर निर्भर होगी।

''क्रियाशील सदस्य'' संगठन के चुनाव में भाग ले सकते है। उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार भी प्राप्त होगा।

(ख) सहायक सदस्य : इन सदस्यों की नियुक्ति हेतु कोई मापदंड नहीं होगा। इन्हें संगठन के चुनावों में भाग लेने का एवं मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा जब तक वे ''क्रियाशील सदस्य'' नहीं बन जाते।

(ग) कनिष्ठ सदस्य : 6 से 18 वर्ष आयु के लड़के/लड़कियां संगठन के कनिष्ठ सदस्य बन सकते है। उन्हें संगठन की मिटींग / बैठक में भाग लेना होगा, सौंपी गई जिम्मेदारी/कार्य पूरी करनी होगी। उन्हें संगठन द्वारा आयोजित कॅम्प, क्लासेस में उपस्थित रहना अनिवार्य / आवश्यक होगा।

दल के किसी भी निष्ठावान सदस्य को, चाहें फिर वह शैक्षिक दृष्टि से या अन्य आवश्यक पात्रता पूर्ण न करता हो, दल के अध्यक्ष ''कार्यकारी परिषद्'' का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। अथवा सदस्यता के लिए नामित किया जा सकता है। बशर्ते ''कार्यकारी परिषद्'' के सदस्य की संख्या अधिक न हो।

समता सैनिक दल के सभी सदस्यों का आचरण ठिक हो एवं नैतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो। कोई सदस्य कुछ ऐसा न करें या कहें जिससे संगठन की एकता को ठेस पहूंचे एवं दल के संस्थापक डॉ0 बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम मलीन हो।

सदस्यता स्थगिति / समाप्ती सम्बन्धी :

दल की ''कार्यकारी परिषद्'' निम्नलिखित कारणों से सदस्य की सदस्यता स्थगित / रद्द कर सकती है :–

(क) सैनिक अपनी सदस्यता का इस्तिफा लिखित में दे एवं परिषद् उसे स्विकृती प्रदान कर दे।

(ख) वर्ष समाप्ति के बाद तीन महिने के अन्दर सदस्य अपनी ''वार्षिक सदस्यता शुल्क'' नहीं देता हो तो।

(ग) कोई सदस्य दल के विरूद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति या संगठन से जुड़ा हुआ हो और जिसका आचरण दल के लिए एवं समाज के पिछड़े वर्गो के लिये घातक हो / हानिकारक हो।

(घ) कोई सैनिक यदि गुन्डागीरी, राष्ट्रविरोधी कार्रवाई करें, या अनैतिक आचरण करे तथा ड्रग्जस, दारू एवं धुम्रपान का शिकार हो जाये।

(च) ''कार्यकारी परिषद्'' के मिटींग में कोई सदस्य बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहें एवं सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी न करें।

(छ) वरिष्ठ सदस्यों के आदेशों का पालन न करना तथा कार्यालय अधिक्षक के आदेशों को न मानना।

महिला विंग :

दल का एक अलग 'महिला विंग' होगा जो कि महिलाओं को स्वावलंबी, बनाना, उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना, कानूनी सहायता, परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य आरोग्य विज्ञान तथा धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों को किस तरह से मनाना आदि की जानकारी देगा।

दल के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि, वे राज्य ईकाई के प्रतिनिधी चूने एवं महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार करें। महिलाएं विशेष कार्यक्रमों में दल का गणवेश परिधान करेंगी। दल का प्रतिनिधी साप्ताहिक बैठक का आयोजन अपने बस्ती या शहर में कर सकता है एवं महिला सैनिकों को प्रशिक्षण बाबत जानकारी दे सकता है।

प्रबंधन एवं संस्था के पदाधिकारी :

ऑल इंडिया समता सैनिक दल के सभी महत्वपूर्ण निर्णय/गतिविधी/कार्य ''कार्यकारी परिषद्'' के निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य करेंगे–

(क) अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) जनरल सेक्रेटरी
(घ) सेक्रेटरी–4 (हर क्षेत्र से एक)
(छ) राज्य ईकाई की सदस्य – संख्या 16 से अधिक नहीं होगी।

दल का अधिवेशन हर दो साल में होगा। इस अखिल भारतीय अधिवेशन में ही दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष इनकी नियुक्ति चुनाव द्वारा कि जायेगी। जिस विभाग के राज्य में अधिवेशन बुलाया जायेगा, उस राज्य के रीजनल सेक्रेटरी से विचार विनिमय कर चुनाव का स्थल निश्चित किया जायेगा।

दल के अध्यक्ष, दल के कार्यकारी परिषद् के सदस्यों से चर्चा कर, दल के हित के लिए विभिन्न विभागों से 4 सेक्रेटरी एवं 2 महिला सदस्यों को नियुक्ति कर सकते है।

दल के सभी सदस्य, दल के अध्यक्ष एवं कार्यकारी परिषद् के मार्गदर्शन एवं सूचनानुसार कार्य करेंगे।

जनरल सेक्रेटरी, कार्यकारी परिषद् द्वारा मिटींग में निर्धारित / तय किये गए कार्यक्रम के बारे में सभी प्रांतों के ईकाई / युनिट को सूचना देंगे एवं उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

हर राज्य की इकाई / युनिट 25 सैनिकों से बनेगी। राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की कुल सैनिकों में से एक प्रतिनिधी ''कार्यकारी परिषद्'' का प्रतिनिधी बनेगा। इसी तरह हर राज्य **इकाई/युनिट** से नियुक्त प्रतिनिधियों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं रहेगी।

राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधी एक विशेष उद्देश्य से बुलाये गये मिटींग / बैठक में नियुक्त किये जायेंगे।

राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के प्रतिनिधी ''कार्यकारी परिषद्'' के सदस्य होंगे बशर्ते इनकी संख्या 25 से अधिक न हो।

निधी :

दल के लिये निधी का निर्माण, सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, कॅलेन्डर्स, छोटी किताबें एवं स्मरणिका आदि का प्रकाशन तथा भाषण/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर किया जायेगा।

हर प्रकार जमा की हुई राशी कोषाध्यक्ष को सौंपी जायेगी जिसकी प्रविष्टि दल के पावती बूक में कि जायेगी एवं राशि प्राप्ती संबंधी रसीद दी जायेगी। रोज के खर्चो के लिए बकाया राशी अथवा अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु राशि छोड़ बाकी राशी ''कार्यकारी परिषद्'' द्वारा निश्चित की हुई बैंक खातें में जमा करना होगा। बैंक के सभी व्यवहार कौन करेगा, यह ''कार्यकारी परिषद्'' निश्चित करेगी।

विशेष निधी :

विभिन्न प्रांतों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के युनिट एवं उनकी शाखाएं रसीद बुक के अनुसार प्रवेश शुल्क एवं वार्षिक शुल्क द्वारा जमा की हुई कुल राशि का 25वां हिस्सा कोषाध्यक्ष को सौंप दिया जायेगा। इस बात की जानकारी जनरल सेक्रेटरी को देना पड़ेगा। जनरल सेक्रेटरी इस प्रकार की सभी जानकारी ''कार्यकारी परिषद'' की मिटींग में देंगे जब वे दल के कार्यक्रम एवं धोरण निश्चित करने हेतु एकत्रित होंगे।

जो युनिट / इकाई केन्द्र का हिस्सा / भाग देने में असमर्थ होंगा, ऐसे युनिट पर रक्कम अदा करने हेतु नोटीस जारी की जायेगी एवं ऐसे युनिट से की हुई जमा राशि का विवरण, रसीद बुक, सदस्यों के नाम / पते भी मंगवाये जायंगे।

नोटीस प्राप्ती के पश्चात भी कोई युनिट / इकाई केन्द्र को भेजी जानेवाली राशि (कुल राशी का 25 प्रतिशत) एवं हिसाब आदि मुख्यालय को भेजने में असमर्थ होगा, ऐसी युनिट/ईकाई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेंगी। तथा दल के अध्यक्ष द्वारा भी उचित कार्रवाई की जायेगी।

आय–व्यय का ऑडिट :

पिछले वर्ष का आय–व्यय अहवाल समाप्त होने के पूर्व, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के आय–व्यय की जांच हेतु दल के जनरल सेक्रेटरी तीन सदस्यों की समिति नियुक्त करेंगे। यह कमिटी अपनी रिपोर्ट ''कार्यकारी परिषद्'' को अप्रैल माह में प्रस्तुत करेगी। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के वार्षिक बैठक में इस आय–व्यय का संक्षिप्त विवरण पढ़कर प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त प्रक्रियानुसार ही सभी प्रांतीय युनिट / ईकाई अपना–अपना आय–व्यय का अहवाल प्रस्तुत करेगे।

कार्यकारी समिति की बैठके :

ऑल इंडिया समता सैनिक दल की कार्यकारी समिति / परिषद् पर 6 महिने में कम से कम एक बाद मिटींग आयोजित करेंगी और संविधान में मौजुदा दल के ध्येय एवं उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पारित करेगी। जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद ही छमाही बैठक की 30 दिन पहले और कोई विशेष सभा की 10 दिन पहले ही सूचना जारी करेगे। इस **नोटीस/सूचना** में बैठक की तारीख, समय, स्थल एवं बैठक की विषय सूची सम्बन्धी जानकारी होगी।

जब कोई आपतकालीन बैठक बुलानी हो तो, उस सभा का समय, स्थल एवं विषय सम्बन्धी सूचना डाक द्वारा सभी सदस्यों को भेजकर उनके विचार मंगवाएं जायेंगे। सदस्यों द्वारा भेजे गए सूझाव/विचार अध्यक्ष के समक्ष आवश्यक कार्रवाई / निर्णय हेतू रखे जायेंगे।

गणपूर्ती (कोरम) :

''कार्यकारी परिषद'' की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या के 1/3 संख्या से कम सदस्य न हो। अगर बैठक शुरू होने से पूर्व आधा घंटे पहले गणपूर्ती न हो तो, अध्यक्ष बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते है। इसके पश्चात भी अगर गणपूर्ती न हो तो, उपस्थित सदस्य बैठक की कार्रवाई शुरू कर सकते है।

''कार्यकारी परिषद्'' के हर बैठक के अध्यक्ष दल के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष, एवं दोनों अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेंगा, ताकि बैठक की कार्रवाई शुरू हो सके। ऐसी स्थिति में यदि कोई मामला कानून सम्बन्धी अथवा पैसे का मामला, रूपये 200/– (रूपये दो सौ) से अधिक हो, तो इन मामलों में अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

अनुशासन

''कार्यकारी परिषद्'' के सभी सदस्य दल के सैनिक होंगे। प्रत्येक सैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन, आचरण, एकता और नियमितता का अत्युच्य आदर्श आजीवन बनाये रखेगा। दल का सैनिक मद्यपान, धुम्रपान, जुआ और मिथ्याभाषण आदि दुर्व्यसनों के अधीन नहीं होगा। उसी प्रकार वह दल के किसी भी सदस्य के साथ तुच्छता या अनादर्श का बर्ताव नहीं करेगा। दल का सैनिक अपने दुराचरण या दुरभाष्य से समता सैनिक दल के संगठन या उसके संस्थापक डॉ0 बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को बदनाम करनेवाली कोई भी बात न करने के प्रति सदैव सजग रहेगा।

दल का कोई भी सैनिक अथवा अधिकारी निम्नलिखित कार्य करता है जैसे कि, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना, दलविरोधी कार्यवाई करना, वरिष्ठों के आदेशों का पालन न करना, अनैतिक आचरण, मद्यपान, धुम्रपान, जुआ आदि के अधीन होना, अनावश्यक ऋण लेना अथवा अन्य दल के कार्यक्रम विरोधी संस्था में शामिल होने पर उसपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। ऐसे आरोपीत सैनिक या अधिकारी को स्वयं के बचाव का अवसर दिया जायेगा, और इसके पश्चात भी वह दोषी पाया जाता है तो, ''कार्यकारी परिषद्'' या प्रादेशिक अधिकारी द्वारा नियुक्त जॉंच आयोग के द्वारा उन्हें दल से निष्कासित किया जायेगा।

ध्वज :

समता सैनिक दल का ध्वज दल के कार्यालय, परेड, जुलुस, वार्षिक सभाएं एवं अन्य विशेष तथा आवश्यक अवसरों पर फहराया जायेगा। समता सैनिक दल के ध्वज की लम्बाई चार फीट एवं चौड़ाई 2 1/2 फीट होगी। ध्वज संपूर्ण रूपेन गहरे निले रंग का होगा और उसके मध्य में सफेद रंग में ''अष्टचक्र'' और उसके नीचे एस.एस.डी. तथा ''समता सैनिक दल'' लिखा होगा। दल का ध्वज रेशम अथवा मील के सुती कपड़े का होगा।

गणवेश :

गणवेश विशेष समारंभों के अवसरों पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर दल के अधिकारी / सैनिक परिधान करेंगे। पुरूष सैनिक एवं महिला सैनिकों का गणवेश निम्मानुसार होगा।

पुरूष सैनिक – ग्रे–सलेटी रंग का फुल पॅन्ट, सफेद रंग का हाप शर्ट, काले जुते तथा निली टोपी।

महिला सैनिक– ग्रे–सलेटी रंग की साडी तथा सफेद रंग का ब्लाऊज।

मुख्यालय से पत्राचार एवं भाषा का प्रयोग :

मुख्यालय से सभी प्रकार का पत्रव्यवहार अंग्रेजी अथवा हिन्दी में होगा। कवायत, परेड आदि की सूचनाएं अंग्रेजी अथवा हिन्दी में दी जायेगी।

संपत्ती एवं ट्रस्ट की निर्मिती :

ऑल इंडिया समता सैनिक दल अपनी सभी प्रकार की सम्पत्ती / स्थायी / अस्थायी, चल / अचल सम्पत्ती का हिसाब रखेगा। सम्पत्ती की खरेदी–बिक्री एवं अन्य व्यवहार दल के अध्यक्ष के नाम से होंगे।

दल की सम्पत्ती की देखभाल करने हेतू ''कार्यकारी परिषद्'' एक ट्रस्ट का निर्माण करेगी जिसमें, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी एवं सात राज्यों के सात प्रतिनिधी शामिल होंगे। दल अपनी सारी चल–अचल, स्थायी–अस्थायी संपत्ती ऑल इंडिया समता सैनिक दल के नाम धर्मदाय ट्रस्ट नियम के तहत जो कि महाराष्ट्र राज्य में लागू होगा, पंजीकृत करेगा।

राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के समता सैनिक दल के विभिन्न युनिट अपने स्थायी सम्पत्ती का उपरोक्तानुसार पंजीयन करेंगा।

संविधान दुरूस्ती

ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत) के किसी भी नियम में दुरूस्ती करनी हो तो, जनरल बॉडी की बैठक में 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित करना होगा। यह सुविधा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट (संस्था पंजीयन नियम) 1860 के सेक्शन 12 के अन्तर्गत उपलब्ध है।

बरखास्ती :

सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1860 के सेक्शन 13 एवं 14 के अंतर्गत, जनरल बॉडी के 3/5 सदस्यों की अनुमति से संस्था / संगठन बरखास्त की जा सकती है।

संस्था के सदस्यों की सूची सोसायटी रजिस्ट्रेशन (महाराष्ट्र) नियम 1971 के नियम 16 के अनुसार शेडयूल्ड VI में दिये अनुसार नियमित रूप से बनाएं रखनी होगी।

अगर संस्था का नाम तथा उद्देश्य बदलना हो या अन्य किसी संगठन से विलय करना हो तो, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, 1860 के सेक्शन 12अ में दी हुई प्रक्रिया का पालन करना होगा।[1]

--000--

प्रतिज्ञा पत्र एवं सदस्यता फार्म

स्थापना–13 मार्च,1927 संस्थापक – डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर पंजीकृत सं.–एफ–7471/88/नागपुर

ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत)

मुख्यालय – 32, उंटखाना, कामगार चौक
नागपुर–440 009, फोन (0712) 2740675

प्रतिज्ञा पत्र

मै .....
पुत्र/पुत्री.....
निवासी .....
बाबासाहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं को स्वीकार करता हूँ और तदनुसार विधीयुक्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि, दलितों के उद्धार, सुरक्षा व प्रगति के लिए प्रारंभ इस पवित्र लडाई में एक प्रतिष्ठित, बहादूर, अनुशासनबद्ध तथा दृढ निश्चय सैनिक बनकर कार्यरत रहूँगा।

मै हमेशा समता सैनिक दल के आदेशानुसार दलितों के न्याय, मानवी और नागरी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अग्रेसर रहूँगा।

मैने अगर कमजोरी, डर या दुष्टता से प्रतिज्ञा भंग की और अपने लोगों का और संगठन का विश्वासघात किया तो मै स्वेच्छा से अनुशासनहीनता की कार्यवाही को मान्य करूँगा।

स्थल : .....

दिनांक : ..... हस्ताक्षर.....

सदस्यता फार्म

क्रमांक : ..... दिनांक : .....

सेवा में,
चेअरमन
ऑल इंडिया समता सैनिक दल, नागपुर

आदरणीय महोदय,

1. मुझे समता सैनिक दल के ध्येय और उद्देश्य मान्य है और मै ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत) में शामिल होना चाहता हूँ। मै इसकी उद्देश्यपूर्ति के लिए इमानदारी से काम करूँगा। कृपया मुझे ऑल इंडिया समता सैनिक दल (पंजीकृत) का सदस्य बनाया जाए।
2. मै दल के संविधान में निर्देशित नियम एवं शर्ते मान्य करता हूँ तथा मैंने दल के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए है।
3. मै इस निवेदन–पत्र के साथ वर्ष ..... के लिए ..... रूपये (5 रूपये नामांकन शुल्क और ..... रूपये सदस्यता शुल्क) दे रहा हूँ। मैं आवश्यकतानुसार शुल्क देने का आश्वासन देता हूँ।

नाम : .....
पिता का नाम : .....
पूरा पता : .....
शिक्षा : .....
व्यवसाय : .....
वैवाहिक स्थितिः विवाहित / अविवाहित : .....
मातृभाषा : .....
धर्म (क्रिश्चन, सिख या मुसलमान हो तो जाति) .....
अभिरूची : .....
यदि दूसरी संघठनाओं से संबंधित हो तो पूरा विवरण दे : .....
.....

दो सदस्यों द्वारा सिफारिश –
1. .....
2. .....

स्थल : .....
दिनांकः ..... हस्ताक्षर .....

अखिल भारतीय समता सैनिक दल (पंजीकृत), नागपुर–9

(केवल मुख्यालय के प्रयोग के लिए)

उपरोक्त की सदस्यता स्वीकृत / अस्वीकृती की जाती है। तथा वर्ष ..... के लिए .....राज्य की ..... शाखा में प्रवेश की अनुमती प्रदान की जाती है। इनका सदस्यता क्रम ..... है।

कार्यालय सचिव : ..... अध्यक्ष : .....